रेजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 231] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 12, 1976/आषाढ़ 21, 1898

No. 231] NEW DELHI, MONDAY, JULY 12, 1976/ASADHA 21, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

12 JUL 1976

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July 1976

G.S.R. 448(E).—In exercise of the powers conferred by section 67 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1970, namely:—

1. (1) These rules may be called the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (Conditions of Service of Chairman and Members) Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1970 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 4A, the following rule shall be inserted, namely:—

"4B. *Contributory Provident Fund.*—Where the salary of the Chairman or a member is fixed in accordance with rule 3 or rule 4 or rule 4A, he shall be eligible for the benefits admissible under the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962".

3. In rule 5 of the said rules, after sub-rule (2) the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3) The Chairman and members of the Commission shall be entitled to the same travelling allowance in respect of journey to their home town, on completion of their tenure, as is admissible to Central Government officers on retirement".

4. After rule 6 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely:—

"6A. *Refusal of leave.*—(1) Leave at the credit of the Chairman or a member shall lapse on the date on which he vacates his office:

Provided that if, in the requirements of the public service, the Chairman or a member is, or has been refused, leave preparatory to the expiry of his term of office, he may, for the hardship caused by such refusal, be granted compensation for the leave so refused, subject to the conditions that the compensation shall be granted in respect of not more than 120 days of leave refused, and the amount of such compensation shall be determined in the manner hereinafter set out and paid to the Chairman or member, as the case may be, in equal monthly instalments, not exceeding four.

(2) For the purpose of determining the amount of compensation payable to the Chairman or a member under sub-rule (1), the total amount of—

(i) the leave salary that the Chairman or member would have drawn if the leave had not been refused, and

(ii) the pension (and pension equivalent of any other form of retirement benefits) to which the Chairman or member is entitled from the date of vacation of office for a period equivalent to the period of leave refused,

shall be calculated separately, and the balance amount after deducting the total amount of pension (including the pension equivalent of other retirement benefits) so calculated under clause (ii) from the amount of leave salary referred to in clause (i) shall be the amount of compensation payable to the Chairman or member under sub-rule (1).

6B. *Leave Travel Concession.*—The Chairman and members shall be entitled to the grant of leave travel concession, as is admissible to a government officer appointed on contract basis".

[No. A-38011/4/72-Admn. I]

A. CHOUDHURY, Jt. Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1976

सा० का० नि० 448 (अ).—एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें) नियम, 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें) नियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 4क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"4ख **अभिदायी भविष्य निधि.**—जहां अध्यक्ष या सदस्य का वेतन नियम 3 या नियम 4 या नियम 4क के अनुसार नियत किया जाता है वहां वह अभिदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के अधीन अनुज्ञेय फायदों का हकदार होगा ।"

3. उक्त नियमों के नियम 5 में, उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, उनकी पदावधि पूरी हो जाने पर, अपने गृह नगर के लिए यात्रा के सम्बन्ध में उसी यात्रा भत्ते के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को सेवा निवृत्त होने पर अनुज्ञेय है ।"

4. उक्त नियमों के नियम 6 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"6क. **छुट्टी से इन्कारी.**—(1) जिस दिन अध्यक्ष या सदस्य अपना पद रिक्त करता है उसी दिन उसके जमा खाते छुट्टी व्यपगत हो जाएगी :

परन्तु यदि, लोक सेवा की अपेक्षाओं के कारण अध्यक्ष या सदस्य को उसकी पदावधि के अवसान पूर्व छुट्टी से इन्कार कर दिया गया है या कर दिया जाता है तो उसे, ऐसी इन्कारी के कारण हुई कठिनाई के लिए, इस प्रकार इन्कार की गई छुट्टी के लिए, इस शर्त पर प्रतिकर मंजूर किया जा सकता है कि प्रतिकर इन्कार की गई छुट्टी के अधिक से अधिक 120 दिन के सम्बन्ध मे मंजूर किया जाएगा, तथा ऐसे प्रतिकर की रकम इस में इसके पश्चात् उपवर्णित रीति से अवधारित की जाएगी और, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य को अधिक से अधिक चार समान मासिक किश्तों मे संदत्त की जाएगी ।

(2) उप नियम (1) के अधीन अध्यक्ष या सदस्य को देय प्रतिकर की रकम अवधारित करने के प्रयोजन के लिए,—

(i) उस छुट्टी वेतन की कुल रकम जो अध्यक्ष या सदस्य, यदि छुट्टी से इन्कार न किया गया होता, लेता, और

(ii) पेंशन (और किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति फायदों का पेंशन-समतुल्य) की वह कुल रकम, जिसका अध्यक्ष या सदस्यपद रिक्त करने की तारीख से इन्कार की गई छुट्टी की अवधि के समतुल्य अवधि के लिए हकदार है,

पृथक् पृथक् रूप से संगणित की जाएगी, और खण्ड (i) में निर्दिष्ट छुट्टी वेतन की रकम में से खण्ड (ii) के अधीन यथा संगणित पेंशन (जिस के अन्तर्गत अन्य सेवा-निवृत्ति फायदों का पेंशन समतुल्य भी है) की कुल रकम को घटाने के पश्चात् अतिशेष रकम अध्यक्ष या सदस्य को उपनियम (1) के अधीन देय प्रतिकर की रकम होगी ।

6क. **छुट्टी यात्रा रियायत.**—अध्यक्ष और सदस्य वैसे ही छुट्टी यात्रा रियायत मंजूर किए जाने के हकदार होंगे जैसी संविदा के आधार पर नियुक्त सरकारी अधिकारियों को अनुज्ञेय है।"

[सं० ए–38011/4/72-प्र० I]

ए० चौधरी, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976